



20/12/2022

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	किशनाराम घासीराम नून्दाराम पि. मेदाराम जाट सिन्धपुरा	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर		
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 194/2022		GCMS No. 2022/ 409
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.12.2022	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 22/12/2022 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	
22/12/2022	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 07.06.2022 की जमाबंदी ग्राम सिन्धपुरा के खसरा नम्बर 212 रकबा 11.88 हैक्टर संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी, वर्तमान जमाबंदी अनुसार सिन्धपुरा के खसरा नम्बर 212 का बंटवारा स्वीकृत होकर नामान्तकरण सं. 543 दिनांक 30.06.2022 अनुसार भूमि पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज हो चुकी है, अतः प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	

